उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज

पत्रांक : 924 /चयन/2020–21 दिनांक 23.07.2021

विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या 01/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला की लिखित परीक्षा दिनांक 09 मार्च, 2019 को सम्पन्न हुई थी। कला विषय की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 23 सितम्बर 2020 से 22 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया। उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम–12 (8) के अन्तर्गत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला विषय बालक वर्ग का पैनल, मेरिट सूची तथा कटआफ मेरिट बोर्ड द्वारा आज दिनांक 23.07.2021 जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। याचिका संख्या 8388/2020 मुकेश तिवारी व 16 अन्य के साथ सम्बद्ध याचिका संख्या 8389/2020 संजीव कुमार व 8 अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.10.2020 तथा याचिका संख्या 9487/2020 धीरेन्द्र प्रताप ओझा व 4 अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.11.2020 के अनुपालन में याचीगण को दिनांक 29.11.2020 के साक्षात्कार में प्रोविजनली सम्मिलित कराया गया है, परन्तु मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रश्नगत याचिका में अग्रिम आदेश तक इनका परिणाम घोषित नही किया जायेगा।

घोषित पैनल के कालम 'SELECTION AS' में जिनके सामने अनारक्षित (UR)/आरक्षण श्रेणी (OBC/SC/ST) अंकित नहीं है उनके नाम 'रिक्तियों की संख्या से अधिक' के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं, इस श्रेणी के अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाना है। घोषित पैनल के कालम 'SELECTION AS' में जिनके नाम के सामने अनारक्षित (UR)/आरक्षण श्रेणी (OBC/SC/ST) प्रदर्शित है, उनका संस्था आवंटन रिक्तियों की संख्या के अनुरूप उपरोक्त नियमावली, 1998 के नियम–12 (10) के अनुसार बोर्ड द्वारा बाद में किया जायेगा।

नियम 12 (10) के अन्तर्गत आवंटित संस्था में यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहेगा, तो उसके स्थान पर पैनल में उल्लिखित 'रिक्तियों की संख्या से अधिक' के अन्तर्गत अंकित अभ्यर्थियों के नाम में से योग्यता क्रम से संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमावली 1998 के नियम 13 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(9) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार साक्षात्कार के समय विज्ञापित संस्थाओं की अधिमानता आनलाइन भरी गयी थी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदित आरक्षण श्रेणी का ही विद्यालय संस्था आवंटन हेतु तत्समय प्रदर्शित किया गया था। अन्तिम चयन परिणाम में कतिपय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित है परन्तु सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता न होने के कारण उनकी अधिमानता अब शून्य है। **इसलिए मात्र आरक्षित श्रेणी (OBC, SC, ST) के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित है, उन्हें सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता का आनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 23.07.2021 से दिनांक 30.07.2021 तक का समय प्रदान किया जाता है। अधिमानता आनलाइन भरने का लिंक चयन बोर्ड की अधिकारिक बेवसाइट www.upsessb.org पर उपलब्ध है जिस पर जाकर अभ्यर्थी अपनी अधिमानता भर सकते हैं।**

23-07-2021
नवल किशोर
उपसचिव